



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 नं. 25 के अन्तर्गत स्थापित)

क्रमांक 342 विकास / 2023

दिनांक 10/03/23

## कार्यालयीय ज्ञाप

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04/11/2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में गठित समिति द्वारा शोधवर्क, पेटेंट, अंतिम शोधकार्य का प्रकाशन एवं उनसे प्राप्त डाटा/जानकारियों का प्रत्यायन एवं रैंकिंग में उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तुत ड्राफ्ट पालिसी का अनुमोदन विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06/03/2023 में किया गया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शिक्षकों द्वारा प्राप्त/प्रस्तुत डाटा/जानकारियों समर्थ पोर्टल पर अपलोड कराने विश्वविद्यालय का समर्थ प्रकोष्ठ आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा एवं शिक्षकों के सहयोग हेतु वालेन्टियर की संख्या बढ़ाकर शिक्षकों से प्राप्त डाटा/जानकारी अपलोड कराने हेतु प्रेरित करेंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

### प्रतिलिपि:

1. कुलपति जी के सचिव माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को इस आशय के साथ अग्रेषित है कि कृपया इस अधिसूचना को अपने अधीनस्थ शिक्षकों को प्रसारित कराना चाहें।
4. समन्वयक, समर्थ प्रकोष्ठ को इस आशय के साथ अग्रेषित है कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06/03/2023 में लिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित कराना चाहें।
5. समिति के समन्वयक/सदस्यों को सूचनार्थ।
6. प्रभारी आई. टी. प्रकोष्ठ को इस आशय के साथ अग्रेषित है कि इस अधिसूचना एवं संलग्न पालिसी को विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड कराना चाहें।
7. प्रभारी मीडिया प्रकोष्ठ को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)